स्नातकोत्तर, हिन्दी, सेमेस्टर -4 , पत्र-15 हेतु पाठ्य-सामग्री

विधि एवं न्याय के क्षेत्र में हिन्दी

- डॉ. दीपक कुमार गुप्ता

  विभागाध्यक्ष, हिन्दी

  एम एल टी कॉलेज, सहरसा

यद्यपि ब्रिटिश शासन काल के दौरान पश्चिमोत्तर प्रदेश में अदालती कामकाज फारसी के स्थान पर हिंदी के प्रयोग के आदेश दिए गए थे, लेकिन व्यवहार रूप में कचहरियों की भाषा उर्दू ही रही थी। कालांतर में अंग्रेज़ी शिक्षा के प्रसार और उच्च शिक्षा की भाषा अंग्रेजी होने से हिंदी का महत्व केंद्रीय न रहकर हाशिए में पड़ता गया। आज़ादी के बाद जब हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया तो इसे विधि एवं न्याय व्यवस्था में भी अपनाने का प्रश्न उठा। इसके लिए विधि शब्दावली निर्धारित की

गई। विधिक भाषा की शब्दावली में अंग्रेज़ी के शब्दों के हिंदी पर्याय निर्धारित करते समय संस्कृत तथा अरबी-फ़ारसी शब्दों को आधार स्वरूप ग्रहण किया गया है।

विधि की भाषा बहुत ही सतर्क और सुनिश्चित भाषा होती है, क्योंकि उसमें जो कुछ कहा जा रहा है उसका सीधा और उतना ही अर्थ निकलना अपेक्षित है जितना कहने वाले या लिखने वाले का आशय है। इसलिए विधि के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली हिंदी में स्पष्टता और एकार्थकता नितांत रूप से आवश्यक होती है। यही कारण है कि संदर्भ-विशेष के लिए निश्चित शब्द ही प्रयुक्त होता है, उसके लिए पर्याय रखने की छूट नहीं होती। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए :

> *(3) खण्ड (1) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी राज्य के विधान मंडल ने, उस विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित आध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा (iii) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेज़ी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहाँ उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेज़ी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेज़ी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।*

यहाँ ''उपखंड'', ''पुरःस्थापित'', ''पारित'', ''प्रख्यापित'', ''उपविधि'' आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो विधि के क्षेत्र के अलावा अन्य किसी क्षेत्र में सामान्यतया प्रयुक्त नहीं होते। ये वस्तुतः विधि की तकनीकी शब्दावली है और यहाँ इन शब्दों के स्थान पर इनका कोई और पर्याय रखना उपयुक्त न होगा, क्योंकि जो बात कही जा रही है उसका निर्दिष्ट अर्थ के अतिरिक्त कोई भी और अन्य अर्थ निकलना अभीष्ट नहीं है।

शब्दावली के अतिरिक्त आपने वाक्य रचना पर भी गौर किया होगा। यहाँ भी कार्यालयी हिंदी की तरह कर्मवाच्य के प्रयोग की प्रवृत्ति दिखाई देती है। वाक्य भी सामान्य वाक्य प्रयोग की तुलना में काफी लंबा है। पूरा पैरा ही एक वाक्य है जिसमें कई खंडों और उपवाक्यों को शामिल किया गया है। ऐसी वाक्य रचना हिंदी की सामान्य प्रवृत्ति नहीं है। किन्तु हमारा विधिक लेखन अक्सर पहले अंग्रेज़ी में किया जाता है, फिर इसका हिंदी रूपांतरण होता है। अतः अंग्रेज़ी वाक्य निहितार्थ को पूर्णतया ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए ऐसी वाक्य रचना की ज़रूरत पड़ जाती है।